1. **<u>नगर पालिका परिषद पॉवटा साहिब के कृत्य और कर्तव्यः -</u>**

अ **संगठन**

क्र सविधान के 74वें संशोधन के 243 अनुच्छेद के अनुसार नगर पलिका का गठन तीन श्रेणी में देखा गया हैः नगर पंचायत छोटे कस्बे और संकमणीय क्षेत्र हेतू नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरो हेतू व नगर निगम बडे शहरो हेतू।

क्र हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार नगर पचायत ,नगर पालिका व नगर निगम के निर्धारण हेतू निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है :-

क. नगर पंचायत

- 2000 से अधिक जनसख्या वाले संकमणकालीन के लिये जिसका स्थानीय प्रशासन के लिये प्राप्त वार्शिक राजस्व पांच लाख रूपये से अधिक हो ।

ख. नगर परिषदः

- 5000 से अधिक जनसख्या वाले छोटे नागरिक क्षेत्रो के लिये जिनका स्थानीय प्रशासन के लिये प्राप्त वार्शिक राजस्व 10.00 लाख रूपये से अधिक हो ।

ग. नगर निगमः

- 50000 से अधिक जनसख्या वाले वृहन्तर क्षेत्र के लिये जिनका स्थानीय प्रशासन के लिये प्राप्त वार्शिक राजस्व 2.00 करोड रूपये से अधिक हो ।

अ **शहरी स्थानीय निकायो की कार्य/शक्तियां**

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 48 1 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नगरपालिकाओ को स्वायत स्वशासन की संस्थाओ के रू के निम्नलिखित कार्यो को करने की ऐसी ाक्तियां दे सकती है जो आवश्यक हो ।

MC PAONTA SAHIB

(i) आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना।

(ii) निम्नलिखित सहित ऐसे कृत्यों का अनुपालन तथा स्कीमों को कार्यान्वित करना, जो उन्हे सौंपा जायेः -

- नगरीय योजना जिसमें नगर योजना शामिल है।
- भूमि उपयोग तथा निर्माण संरचना विनिमय।
- आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।
- सड़के और पुल।
- घरेलू औधौगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय।
- जन स्वास्थय, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था और कूड़ा कर्कट का प्रबन्ध।
- अग्निशमन सेवायें।
- नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थिती की आयामों की अभिवृद्धि।
- समाज में कमजोर वर्गो के हितों की रक्षा करना, इनमें विकलांग और मन्द बुद्धि भी शामिल है।
- गन्दी बस्ती सुधार और उन्नति।
- नगरीय निर्धनता उन्मूलन।
- नगरीय सुख-सुविधाओं और अन्य सुविधायें जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था करना।
- सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्यपूर्वक आयामों की वृद्धि।
- दफन और कब्रिस्तान, शबदाह और शमशान और विद्युत शबदाह गृह।
- कांजी हाऊस, पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण।
- जन्म-मरण सांख्यिकी, इसमें जन्म और मरण रजिस्ट्रीकरण शामिल है।
- सार्वजनिक सुख-सुविधायें इसमें मार्ग प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप व अन्य जन सुविधायें शामिल है।
- पशु वधशालाओं और चर्म शोधन शालाओं का विनिमय।

MC-PANNA SAHIB